तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4526/2003/भरतपुर** **सरकार बनाम बाबूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2019	**<u>एकल पीठ</u>** **<u>श्री महावीर सिंह, सदस्य</u>** **<u>उपस्थित–</u>** श्री वी0पी0 सिंह, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं **<u>निर्णय</u>** हस्तगत रेफरेन्स धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2001 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 30–06–2003 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, रुपवास, जिला भरतपुर ने धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम व तहसील रुपवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 1076 मि0 रकबा 3 बिस्वा राजकीय भूमि है, इस भूमि में से अप्रार्थीगण के पक्ष में 3 बिस्वा रकबे का नामांतरकरण संख्या 794, 1912 लक्ष्मी पुत्र साहब सिंह कौम काछी द्वारा बयनामा से दर्ज हुआ है, पूर्वमें अमर देई बेवा साहब सिंह व लक्ष्मी पुत्री सहब सिंह का इन्द्राज नामांतरकरण संख्या 1857 विरासत से हुआ है। नामांतरकरण संख्या 794 से खातेदारी गै0मु0 रास्ता की भूमि पर दी गई है, जब कि ग्राम पंचायत को खातेदारी देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गै0मु0रास्ते की भूमि पर धारा 16 के प्रावधानों के तहत किसी के पक्ष में खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः नामांतरकरण संख्या 794, 1912 को निरस्त किया जाए। अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार किया और प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 794, 1912 को निरस्त कर भूमि को पूर्व अनुसार राजकीय खाते में दर्ज करने के आशय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4526/2003/भरतपुर** **सरकार बनाम बाबूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये अंकनों व नामांतरकरणों को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूववर्ती गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। हमने बहस पर मनन किया एवं विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार पाया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1076 मि0 रकबा 3 बिस्वा राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रही है, इस भूमि में से रेवती पुत्र अमरचन्द के पक्ष में 3 बिस्वा रकबे का नामांतरकरण संख्या 794 स्वीकार किया गया है और नामांतरकरण संख्या 1857 विरासत से अमर देई बेवा साहब सिंह व लक्ष्मी पुत्री साहब सिंह के नाम स्वीकृत किया गया है। विक्रय पत्र से बेचान करने के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1912 बाबूलाल पुत्र मुरली, महेन्द्र पुत्र रामजीलाल, लाखन सिंह पुत्र रेवती प्रसाद के नाम स्वीकार किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार गै0मु0 रास्ते की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। गै0मु0 रास्ते की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की आराजी होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार इस किस्म की भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं और ना ही इस प्रकार की आराजी को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन ही किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में स्वीकृत किया गया नामांतरकरण संख्या 794, 1857 पूर्णया नियमों के विपरीत हैं और विक्रय होने के उपरान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामांतरकरण संख्या 1912 भी नियमों के पूर्णतया प्रतिकूल है। अतः अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर द्वारा मण्डल को अनुशंषित रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 794, 1857 एवं 1912 को निरस्त किया जाता है और अप्रार्थीगण के पक्ष में हो रहे राजस्व रिकार्ड के अंकनों को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./4526/2003/भरतपुर** **सरकार बनाम बाबूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलमजन कर प्रश्नगत भूमि को पूर्व अनुसार राजकीय खाते में किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	